(32)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म॰प्र॰

257

P-301

सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी तनय विप्र प्रसाद त्रिपाठी , निवासी ग्राम बरौंधा कोठार, तहसील उचेहरा, जिला सतना म॰प्र॰ ---- निगरानीकर्ता

बनाम

राकेश कुमार पिता रामावतार त्रिपाठी, निवासी ग्राम बरौंधा, तह॰ उचेहरा, जिला सतना म॰प्र॰ ---- गैर निगरानीकर्ता

2017/2491

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग उचेहरा जिला सतना म॰प्र॰ प्र॰क्र॰ 87/अपील/ 2015-16 दिनांक 13.7.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰

मान्यवर,

निगराकर्ता द्वारा न्यायालय तहसीलदार तह॰उचेहरा जिला सतना म॰प्र॰ मामला क्र॰ 163-70/14-15 आदेश दिनांक 24.2.2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी। निगराकर्ता ने न्यायालय तहसीलदार उचेहरा के समक्ष धारा 250 म॰प्र॰ भू॰रा॰सं॰ के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था तथा यह दर्शित किया था कि गैर निगराकार राकेश कुमार द्वारा उसकी स्वत्व व अधिपत्य की भूमि मे अवैधानिक तरीके से टैंक निर्माण करा रहा है जिसके संबंध मे तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का मामला इस आधार पर निरस्त किया कि बिना

...2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/2017/2491 जिला–सतना

सुरेश प्रसाद त्रिपाठी/ राकेश कु0 त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेश अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 87/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	